बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

-:: अधिसूचना ::- 7489

संचिका सं0-स0क0निग0-155/2022(खण्ड-II)-7489/विभागीय आदेश ज्ञापांक-5388 दिनांक-07.11.2022 के आलोक में विभागीय जाँच दल द्वारा दिनांक 09.11.2022 को समेकित बाल विकास परियोजना काको, जहानाबाद के कुल-04 आंगनबाड़ी केनद्रों यथा केन्द्र सं0-20, 24, 165 एवं 169 की जाँच/निरीक्षण कर पत्रांक-शून्य दिनांक-11.11.2022 द्वारा विभाग को जाँच निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जिसमे उपरोक्त आंगनबाड़ी केन्द्रो पर उपस्थित बच्चों की संख्या क्रमशः- 14, 18, 12 एवं 20 पाये जाने का उल्लेख किया गया, जो पंजीकृत बच्चों की संख्या से काफी कम था। इसके अतिरिक्त सभी केन्द्रों पर बच्चों में साफ-सफाई का घोर अभाव पाये जाने, बहुत ही छोटे कमरे में बच्चों को बैठाने, बच्चे पोशाक में नहीं पाये जाने, THR के लाभार्थियों की सूची एवं सामाग्री की सूची व मात्रा प्रदर्शित नहीं करने, बिजली एवं शौचालय की व्यवस्था नहीं होने, बच्चों की विद्यालय पूर्व शिक्षा की स्थिति असंतोषजनक पाये जाने आदि का उल्लेख किया गया।

जॉच निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रतिवेदित अनियमितताओं एवं इन अनियमितताओं के आलोक में श्रीमती रश्मि कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, काको, जहानाबाद के पत्रांक-667 दिनांक-05.12.2022 से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी एवं समीक्षोपरांत उनके विरुद्ध आरोप-पत्र गठित करते हुए विभागीय संकल्प संख्या-2507 दिनांक-16.05.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। जिसमें श्री इन्द्रवीर कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री इन्द्रवीर कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी का स्थानांतरण अन्यत्र हो जाने के कारण विभागीय संकल्प संख्या-5052 दिनांक-09.10.2023 द्वारा श्री सुमित कुमार, उप सचिव, समाज कल्याण विभाग को नियुक्त किया गया। पुन: श्री सुमित कुमार के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने के कारण विभागीय संकल्प संख्या-1135 दिनांक-29.02.2024 द्वारा श्री हरिशंकर राम, उप सचिव, समाज कल्याण विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी ने विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर अपने पत्रांक-3913 दिनांक-19.08.2024 द्वारा जॉच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। जिसमें आरोप संख्या-1, 2, 4, 5, 6 एवं 7 को प्रमाणित एवं आरोप संख्या-3 को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। प्रमाणित एवं आंशिक रूप से प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-5321 दिनांक-09.07.2025 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से लिखित अभ्यावेदन की मॉग की गई। जिसके आलोक में आरोपित पदाधिकारी ने अपने पत्रांक-336 दिनांक-24.07.2025 द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया।

जिसकी समीक्षा की गई तथा समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इन्हें चेतावनी की शास्ति देने का निर्णय लिया गया।

अत: उपरोक्त के आलोक में श्रीमती रश्मि कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, काको, जहानाबाद सम्प्रति थरथरी, नालन्दा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (समय-समय पर यथा- संशोधित) के नियम-14 के स्पष्टीकरण-3 में उल्लेखित **"चेतावनी"** संसूचित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

17/11/25

(योगेश कुमार सागर)

संयुक्त सचिव

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-155/20222(खण्ड-II)- 7489 पटना-15 दिनांक :- 18.11.2025

ई-मेल / निबंधित

प्रतिलिपि :- निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना/ प्रमण्डलीय आयुक्त पटना प्रमण्डल, पटना/मगध प्रमण्डल गयाजी/जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/नालन्दा/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जहानाबाद/नालन्दा/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी (स्था०), समाज कल्याण विभाग/संबंधित कोषागार/विभागीय आई0 टी0 मैनेजर (अपलोड हेतु) एवं श्रीमती रश्मि कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, काको, जहानाबाद सम्प्रति थरथरी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/11/25

संयुक्त सचिव

समाज कल्याण विभाग।